कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज।

(E-mail Id- ddc-sah@nic.in & drdasah@gmail.com)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अन्तर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु

—: आवश्यक सूचना :—

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड सरकार का संकल्प ज्ञापांक—4729/दिनांक—04.06.2007, 6440/दिनांक—17.07.12 एवं ज्ञापांक—(N)848/दिनांक—21.03.2017 के आलोक में सूचित किया जाता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण एवं लेखा संधारण हेतु साहेबगंज जिला के विभिन्न प्रखंडों में रिक्त पद क्रमशः तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष), तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष), लेखा सहायक, कम्प्यूटर सहायक एवं ग्राम रोजगार सेवक के रिक्त पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त की जानी है। रिक्ति का कोटिवार विवरण निम्नरूपेण है :—

क्र0 सं0	आवेदित पद का नाम	अनारक्षित	आ0 क0 व0	अनु0 जन0 जा0	अनु0 जा0	अत्य0 पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	01	0	01	0	0	0	02
2.	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	04	1	1	0	0	0	06
3.	लेखा सहायक	02	0	03	0	0	0	05
4.	कम्प्यूटर सहायक	02	0	04	0	0	0	06
5.	ग्राम रोजगार सेवक	01	2	18	05	01	01	28

नोट **:— कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट—बढ़ सकती है।**

नियुक्ति हेतु शर्त्त निम्नवत है :—

1. आवेदन पत्र उप विकास आयुक्त—सह—अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, साहेबगंज के पदनाम से देय होगा।
2. मासिक परिलब्धि/संविदा राशि :— ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, राँची का संकल्प ज्ञापांक—(N)1028/दिनांक—04.08.2022 के आलोक में तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)—22,000/— (बाईस हजार) रूपये मात्र, तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) का 19,000/—(उन्नीस हजार) रूपये मात्र, लेखा सहायक का 14,300/—(चौदह हजार तीन सौ) रूपये, कम्प्यूटर सहायक—14,300/—(चौदह हजार तीन सौ) रूपये मात्र एवं ग्राम रोजगार सेवक का 11,000/— (ग्याह हजार) रूपये मात्र ।

3. **शैक्षणिक योग्यता** –

(क) **तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :**

(i) **अनिवार्य योग्यता :**

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0ई0 या बी0टेक0 अनिवार्य योग्यता होगी।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में एम0टेक0 तथा पी0जी0डी0सी0ए0/एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ख) **तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष) के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :–**

(i) **अनिवार्य योग्यता :–**

सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी।
नोट :– विभागीय ज्ञापांक–1187, दिनांक–01.03.2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी यथा– सिविल संकाय में बी0ई0/बी0टेक उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी आवेदन हेतु योग्य होंगे।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :–**

(a) सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में बी0टेक/बी0ई0, बी0सी0ए0/ बी0एस0सी0 कम्प्यूटर/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स तथा एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/ एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(b) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर को बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की श्रेणी में लाने के हेतु उनकें प्राप्तांक प्रतिशत से 5 क्रमशः घटा दिये जायेंगे तथा बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स कोटि में तद्नुरूप प्राप्तांक प्रतिशत जोड़ा जायेगा।

(c) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़ें जायेंगे। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा।

(ग) **लेखा सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ :**

(i) **अनिवार्य योग्यता :**

सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बी0कॉम ऑनर्स या सामान्य बी0कॉम न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक से उत्तीर्ण। सामान्य बी0कॉम उत्तीर्ण जिन्हे 55 प्रतिशत प्राप्त नहीं हुआ हो, परन्तु जिन्होंने तत्पश्चात् एम0कॉम किया हो तो वे आवेदन दे सकेंगे परन्तु बी0कॉम के कुल प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटा कर उसे बी0कॉम ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :**

(c) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0 कॉम, बी0 सी0 ए0 तथा एम0 सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 अतिरिक्त योग्यता होगी।

(d) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तद्नुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 के कोटि में जोड़े जायेगें । पी0जी0डी0सी0ए0 एवं एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0 के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटा कर उसके प्राप्तांक को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

(घ) <u>कम्प्यूटर सहायक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ</u> :

(i) **अनिवार्य योग्यता** :

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नांकित कोटि के व्यक्ति आवेदन दे सकेगें :–

1. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स
2. बी0एस0सी0 कम्प्यूटर सामान्य
3. बी0सी0ए0
4. सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पी0जी0डी0सी0ए0 उत्तीर्ण।

(ख) बी0सी0ए0 तथा सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के प्रतिशत प्राप्तांक में 5 घटाते हुए उसे बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि में अंकित किया जायेगा। वैसे सामान्य स्नातक जिन्होने तत्पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो, के सामान्य स्नातक के प्रतिशत प्राप्तांक में 10 घटा कर बी0एस0सी0 कम्प्यूटर ऑनर्स की कोटि अंकित किया जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता** :

(क) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से एम0सी0ए0/पी0जी0डी0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर साईंस अतिरिक्त योग्यता होगी।

(ख) एम0सी0ए0/एम0एस0सी0 कम्प्यूटर को समान योग्यताएँ समझा जायेगा एवं तदनुरूप उनके प्राप्तांक प्रतिशत मूल रूप में एम0सी0ए0 की कोटि में जोड़े जायेगें। पी0जी0डी0सी0ए0 तथा एम0सी0ए0 में समतुल्यता लाने हेतु पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 घटा दिया जायेगा। जबकि अभ्यर्थी ने बी0सी0ए0/सामान्य बी0एस0सी0 कम्प्यूटर के पश्चात् पी0जी0डी0सी0ए0 किया हो अन्यथा पी0जी0डी0सी0ए0 के प्राप्तांक प्रतिशत में 10 घटाकर उसके प्राप्तांक प्रतिशत को एम0सी0ए0 की कोटि में रखा जायेगा।

(ड़) <u>**ग्राम रोजगार सेवक के पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएँ**</u> :

(i) **अनिवार्य योग्यता** :

(क) अनिवार्य योग्यता – सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंटरमिडिएट या मैट्रिक परीक्षा के पश्चात किसी भी ट्रेड में I.T.I., मैट्रिक के पश्चात I.T.I. की स्थिति में I.T.I. के प्राप्तांक प्रतिशत को इंटरमिडिएट प्राप्तांक प्रतिशत के समतुल्य समझा जायेगा।

(ii) **अतिरिक्त योग्यता :**

(ख) सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से किसी भी विषय/संकाय में स्नातक प्रतिष्ठा/सामान्य स्नातक/BCA तथा किसी विषय में स्नातकोत्तर/PGDCA /PGDBA /PGDRD अतिरिक्त योग्यता होगी ।

(ग) स्नातक प्रतिष्ठा के प्रतिशत प्राप्तांक को 5 अंक का अधिभार देते हुए स्नातक की कोटि में अंकित किया जायेगा। PGDCA /PGDBA /PGDRD को स्नातकोत्तर की श्रेणी में लाने के लिए उसके प्राप्तांक प्रतिशत में 05 घटा दिया जायेगा।

(iii) अभ्यर्थियों का योग्यता स्कोर का निर्धारण इंटरमिडिएट, स्नातक तथा स्नातकोत्तर योग्यताओं के कुल औसत प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर किया जायेगा।

(च) नियम 5 (क से ड़) में वर्णित *सभी शैक्षणिक योग्यतायें, जिसकी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान हो, को ही मान्य होगी। अभ्यर्थियों को अपने विश्वविद्यालय/संस्थान से यू0जी0सी0/ ए0आई0सी0टी0ई0/डी0बी0ई0 से मान्यता संबधित कागजात/मार्कशीट को आवेदन के साथ क्रमबद्ध रूप से संलग्न करना आवश्यक होगा । जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रमाण पत्र में सी0जी0पी0ए0/डी0जी0पी0ए0 स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । प्रतिशत में अंतरण नहीं कराये जाने पर संबंधित संलग्न प्रमाण पत्र के अंक की गणना नहीं की जायेगी ।*

4. आयु सीमा – दिनांक 01.01.2023 को न्यूनतम 18 वर्ष

5. **अधिकतम : आयु सीमा**

(क)	अनारक्षित	–	35 वर्ष
(ख)	पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग	–	37 वर्ष
(ग)	महिला (अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग)	–	38 वर्ष
(घ)	अनुसूचित जाति/अनु0 जन जाति (पुरूष एवं महिला)	–	40 वर्ष

6. **आरक्षण** – आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण राज्य सरकार के तत्समय प्रवृत आदेशों (साहेबगंज जिला के लिये प्रभावी) के अनुसार की जायेगी । राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। राज्य के बाहर के आरक्षित अभ्यर्थियों को आरक्षण की सुविधा नहीं दी जायेगी तथा वे अनारक्षित कोटि में परिगणित होंगे ।

7. **राष्ट्रीयता** : आवेदक भारत का नागरिक हो ।

8. चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन जिला अंतर्गत किसी भी प्रखंड/पंचायत के रिक्त पदों में उपायुक्त –सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, साहेबगंज द्वारा किया जायेगा तथा उनका पदस्थापन संबंधी निर्णय बाध्यकारी एवं अन्तिम होगा।

9. **नियुक्ति का प्रकार पदस्थापन स्थल एवं नियुक्ति की अवधि/नियुक्ति का नवीकरण कार्य :–**

(क) उल्लेखित सभी पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतया संविदा के आधार पर होगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार पर कोई दायित्व नहीं होगा।

(ख) प्रारंभिक चरण में ऐसी नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जायेगी तथा इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पद नियुक्ति के लिए गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जायेगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले एक वर्ष के लिए संविदा के द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

(ग) संविदा के आधार पर नियुक्ति नियमावली के 11 (ख) में वर्णित प्रावधान के अनुरूप नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्ति पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्ति पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं हो तो वे उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे। परन्तु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर ऐसे कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा किसी भी वक्त समाप्त कर दी जायेगी।

(च) अभ्यर्थी द्वारा झारखंड राज्य के किसी एक जिला में ही आवेदन दिया जा सकेगा। आवेदन के साथ अभ्यर्थी को यह शपथपत्र देना होगा कि झारखंड राज्य के किसी अन्य जिला में इस पद हेतु आवेदन समर्पित नहीं किया है। यदि उनका यह शपथपत्र कभी भी गलत पाया गया तो उनकी नियुक्ति स्वतः रद्द समझी जायेगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। शपथपत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। ।

10. आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों/अंक पत्रों एवं अन्य प्रमाण–पत्रों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र दिनांक–30/09/2023 को अपराह्न 5:00बजे तक निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा उप विकास आयुक्त–सह–अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय, साहेबगंज में प्राप्त किया जायेगा । विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे।

11. एक अभ्यर्थी एक से अधिक पदो के लिए आवेदन जमा कर सकते है। इसके लिए उन्हें पदवार अलग–अलग आवेदन जमा करना अनिवार्य होगा।

12. नियुक्ति हेतु गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा ।

13. **लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा ।**

14. विज्ञापन में किसी कारणवश आंशिक संशोधन या पूर्णतया रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा ।

15/9/23

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
साहेबगंज ।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) अन्तर्गत संविदा के आधार पर विभिन्न पदों पर सेवा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम :– ....

Paste Recent Pasport Size Photo

1. अभ्यर्थी का नाम :–
(a) (देवनागरी लिपि में) ....
(b) (रोमन लिपि में) ....

2. पिता / पति का नाम :–
(a) (देवनागरी लिपि में) ....
(b) (रोमन लिपि में) ....

3. माता का नाम :– ....

4. स्थायी पता :– ग्राम –.................................. पो0–.. प्रखंड–..............................
थाना – .... जिला– ....

5. वर्त्तमान पता :– ग्राम –.................................. पो0–.. प्रखंड–..............................
थाना – .... जिला– ....

6. (a) जन्म तिथि :– ....
(b) दिनांक–01.01.2023 को उम्र .... वर्ष .... माह .... दिन

7. लिंग : पुरूष / महिला / ट्रांसजेन्डर

8. कोटि : आ0क0व0 / अ0जा0 / अज0जा0जा0 / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग / पिछड़ी जाति / सामान्य
(जो लागू नहीं हो काट दें)

SC/ST/BC (Annexure-2) OBC (Annuxure-I)/General/ उपजाति :–

9. आवेदक का पहचान पत्र :– आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / पैन कार्ड / ड्राईविंग लाईसेंस का विवरण :–

क्र0	पहचान पत्र का नाम	पहचान पत्र का नम्बर	प्रमाण पत्र संलग्न करेंगे

10. (a) शपथपत्र का विवरण :– ....
(b) आवासीय प्रमाण–पत्र का सं0 एवं तिथि :– ....
(c) जाति प्रमाण–पत्र का सं0 एवं तिथि :– ....

11. दूरभाष / मोबाईल नं0 :– .... E-mail ID :– ....

12. शैक्षणिक योग्यता :– ....

अनिवार्य योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाम	प्रमाण पत्र का संख्या एवं तिथि	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

अतिरिक्त योग्यता :–

क्र0	परीक्षा का नाम	विश्वविद्यालय / संस्थान का नाग	प्रमाण पत्र की संख्या एवं तिथि	पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

नोट :– (जो अभ्यर्थी शैक्षणिक प्रगाण पत्र में सी0जी0पी0ए0 / डी0जी0पी0ए0 स्कोर कार्ड के अनुरूप मार्कशीट प्रस्तुत करेंगे, उन्हें अपने संबंधित विश्वविद्यालय / संस्थाग से ग्रेड इत्यादि को प्रतिशत में अंतरण कराकर प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा । साथ ही सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति क्रमबद्ध रूप से संलग्न करेंगे ।

अनुलग्नक :– (1)
(2)
(3)
(4)

घोषणा :– मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपर वर्णित सभी विवरणी सत्य है, असत्य या गलत पाये जाने पर मेरी पात्रता रद्द की जा सकती है ।

तिथि :–

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर

उपायुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
साहेबगंज ।